संख्या- 12 /2022/63/30-3-22-6बी/2014

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 06 जनवरी 2022

विषय - उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 17-02-2021 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1472स०सु०/2021-37स०सु०/2021, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021, पत्र संख्या-1471स०सु०/2021-36स०सु०/2021, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 एवं पत्र संख्या-1505स0सु0/2021-14स0सु0/2019, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 17-02-2021 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ०प्र० सड़क सुरक्षा कोष के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य हेतु उनके सम्मुख विवरण एवं धनराशि के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	प्रस्तावित मद	अनुमानित व्यय (धनराशि रू0 लाख में)
1	2	3
1.	300 बॉडी वार्न कैमरा के क्रय हेतु	रू0 45.00
2.	175 स्पीड रडार गन के क्रय हेतु	रू0 351.46
3.	जनपद-मुरादाबाद में निर्मित डीटीआई के आटोमेशन, संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रथम किश्त के रूप में	रू0 3.54
	कुल योग -	रू0 400.00 लाख

(1) उपर्युक्त प्रस्ताव क्रमांक 1 एवं 2 पर इस शर्त के साथ सहमति प्रदान की जाती है कि ई-टेण्डर आदि समस्त प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त ही विभाग धनराशि का आहरण करेगे।

(2) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड्बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(5) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधिानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह०/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2022/63(1)/30-3-2022, तद्दिनांक।

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह०/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।